न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा आर. ए. एस.

न. मु. 104/2022

1 मोहम्मद सादिक उर्फ मॉगीलाल पुत्र स्व. शकरूदीन जाति सिलावट सोलंकी निवासी वार्ड न. 22, सार्वजनिक चौक दड़ीबा रोड़ बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
2 मोहम्मद इसब पुत्र सुभान जाति सिलावट सोलंकी निवासी वार्ड न. 28, दड़ीबा मस्जिद के पास दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
3 जमीला पुत्री स्व. हूसैनी पत्नी गफूर सिलावट सोलंकी निवासी वार्ड न. 28, दड़ीबा मस्जिद के पास दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
4 इस्माईल पुत्र सदीक मोहम्मद सिलावट सोलंकी निवासी वार्ड न. 28, दड़ीबा मस्जिद के पास दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर तहसील कार्यालय बीदासर जिला चूरू राज.
2 शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू

प्रतिवादी

1 निवाज मोहम्मद पुत्र स्व. गफूर सिलावट सोलंकी निवासी वार्ड न. 28, दड़ीबा मस्जिद के पास दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
2 नगीना पुत्री स्व. गफूर सिलावट सोलंकी निवासी वार्ड न. 28, दड़ीबा मस्जिद के पास दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू
3 रेहाना पुत्री स्व. गफूर सिलावट सोलंकी निवासी वार्ड न. 28, दड़ीबा मस्जिद के पास दड़ीबा बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

गौण प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक रेंकार्ड दुरूस्ति, नक्शा संशोधन व चिर निषेधाज्ञा प्राप्ती का प्रत्येक प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर अन्तर्गत धारा 88ए, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955

उपस्थित :–

1 वादी – श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट
2 प्रतिवादी स. 1 पैरोकार राज.
3 प्रतिवादी स. 2 – बैंक ऑफ बड़ौदा

निर्णय दिनांक :–06/01/2023

वाद पत्र के सक्षिंप्त तथ्य इस प्रकार है कि रोही उपाधिया पटवार हल्का दूंकर के खेत खसरा नम्बर 163/140 रकबा 3.7307 हैक्टेयर (14–15बीघा), खेत खसरा नम्बर 166/140 रकबा 3.7181 हैक्टेयर (14–14बीघा), खसरा नम्बर 164/140 रकबा 1.7073 हैक्टेयर (6–15बीघा), खसरा नम्बर 165/140 रकबा 2.0234 हैक्टेयर (8–00बीघा) जिनके विभाजन से पूर्व खसरा नम्बर 140/60 रकबा 44–04 बीघा थे जिनका सेटलमेन्ट से पूर्व के साविका खसरा नम्बर 52 रकबा 157–08 बीघा रहे है वर्तमान खसराजात की भूमि को आगे दावा में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है उपरोक्त रोही उपाधिया में

लगातार....2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner

साबिका खेत खसरा 52 रकबा 157–08 स्थित रहा है उक्त खसरा नम्बर 52 रकबई 157–08 बीघा में से तत्समय के खातेदार मेघसिंह पुत्र सबलसिंह जाति राजपूत द्वारा अपने हिस्सा में से भूमि तादादी 50–19 बीघा जरिये पंजीकृत विकय पत्र पंजीकृत दिनांक 23/04/1969 के द्वारा वादीगण के पूर्वज पिता शकरू, सुभान, सदीक पिसरान् नबीबगस जाति सिलावट निवासी दड़ीवा के द्वारा खरीद की गई उपरोक्त वर्णित साबिका खसरा नम्बर 52 के मुताबिक मिलान क्षेत्रफल नये खसरा नम्बर 60 रकबा 157–08 बीघा संधारित होकर मिशल बन्दोबस्त संवत 2028–2047 पर्चा खतोनी के पृष्ठ सख्या 22 के खाता नम्बर 66 में वादीगण के पूर्वज पिता शकरू, सुभान, सदीक पिसरान् नबीबगस जाति सिलावट निवासी दड़ीवा के नाम 3/4 का 3/7 हिस्सा यानि 50–19 बीघा दर्ज हुई तथा बाकी 3/4 हिस्सा का 4/7 हिस्सा सुगनसिंह, मेघसिंह पि. सबलसिंह के नाम दर्ज हुई मिशल बन्दोबस्त के बाद नवसृजित जमाबंदी संवत् 2031 के खसरा नम्बर 60 रकबा 157–08 बीघा में भी वादीगण के पिता शकरू, सुभान, सदीक पिसरान् नबीबगस जाति सिलावट निवासी दड़ीबा के नाम 3/4 का 3/7 हिस्सा दर्ज किया गया। इस प्रकार उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 60 में वादीगण के पूर्वज पिता शकरू, सुभान, सदीक पिसरान् नबीबगस जाति सिलावट निवासी दड़ीवा के नाम खरीद करने के मुताबिक एवं कब्जा काश्त मुताबिक दर्ज रही। मिशल बंदोबस्त संवत 2028 एवं जमाबन्दी संवत् 2031 के बाद जमाबन्दी संवत् 2033 से 2036 का संधारण करते वक्त राजस्व कर्मचारीयों की भूल से खसरा नम्बर 60 के नव रकबा 116–19 बीघा में पूर्व की भांती 3/4 हिस्सा का 3/7 हिस्सा अंकित कर दिया। पर्चा खतौनी संवत 2028–2047, जमाबंदी संवत् 2031 के अनुसार वादीगण के पूर्वज पिता शकरू, सुभान, सदीक पिसरान् नबीबगस जाति सिलावट निवासी दड़ीबा के नाम खरीद शुदा भूमि का रकबा मुताबिक बैचाण एवं कब्जा काश्त के सही था लेकिन जमाबंदी संवत् 2033–2036 में खसरा नम्बर 60 के नव रकबा 116–19 बीघा में पूर्व की भांती हिस्सा पांती दर्ज करने के कारण वादीगण के पिता शकरू, सुभान, सदीक पिसरान् नबीबगस का रकबा कम दर्ज हो गया जो खरीद शुदा एवं कब्जा काश्त शुदा भूमि के मुकाबले अवैध गलत और शून्य दर्ज हुआ। जमाबंदी संवत् 2037 से 2040 के राजस्व रेकार्ड मूल खसरा नम्बर 60 का विभाजन होकर नये खसरा नम्बर 139/60 रकबा 44–04 बीघा दर्ज हुए तथा जमाबंदी संवत् 2042–2045 में उक्त भूमि खसरा नम्बर 140/60 रकबा 44–04 बीघा हो गया जो पंजीकृत विकय पत्र से खरीद शुदा भूमि एवं मौका पर कब्जा काश्त अनुसार भूमि से बिल्कुल भिन्न और गलत चलता रहा। उपरोक्त वादगत खसराजात की भूमि के विभाजन से पूर्व का रेकार्ड जंमाबन्दी संवत् 2066–2069 तक खसरा नम्बर 140/60 रकबा 44–04 बीघा चलता रहा, तत्पश्चात वादगत खसराजात के खातेदारान् ने राजस्व कैम्प में हाजिर होकर अपनी खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करवा कर अपने अपने नाम अलग अलग खातेदारी दर्ज करवा ली। खातेदारा हूसैनी का स्वर्गवास हो चुका है जिनके जायज वारिसान में वादीया स. 3 व गौण प्रतिवादी स. 1 ता 3 उतराधिकारी है। वादीगण ग्रामीण परिवेश के काश्त पैशा अनपढ़ व्यक्ति रहे है जिनको वादगत भूमि के खातेदारी रेकार्ड रकबा के कम होने की कभी जानकारी नहीं रही है, वर्तमान में डिजिटल नक्शा एवं पैमाईश का काम चल रहा है जिसके कारण पैमाईश कर्मचारीयों द्वारा वादीगण को अवगत करवाया गया कि वादगत खसराजात की भूमि राजस्व रेकार्ड में वर्तमान नक्शा और वादीगण के वर्तमान काब्जा काश्त अनुसार नहीं होकर राजस्व रेकार्ड में भूमि का रकबा कम है और उसी अनुसार वादीगण का नक्शा कम किया जायेगा। तब वादीगण ने वादगत खसराजात की भूमि का मूल बैचाण तथा सम्बन्धित राजस्व रेकार्ड तहसील कार्यालय से प्राप्त किया तो वादीगण को अपनी खातेदारी भूमि राजस्व रेकार्ड में वर्तमान कब्जा काश्त से कम होने एवं वर्तमान नक्शा कब्जा काश्त अनुसार नहीं होने की जानकारी हुई। तब से वादीगण को वाद हैतुक एवं वादाधार प्राप्त है। वादीगण को राजस्व रेकार्ड में वादगत भूमि वर्तमान कब्जा काश्त एवं नक्शा से भिन्न

लगातार.....3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (राज.)

Scanned with CamScanner

होने की जानकारी पैमाईश कर्मचारीयों से करीब दिनांक 01/09/2022 को होने पर तथा पटवारी हल्का से नामान्तरकरण एवं नक्शा की नकले प्राप्त करने पर वादगत खसराजात भूमि का रकबा कम होने एवं नक्शा कब्जा काश्त से भिन्न होने की जानकारी हुई तब से वादीगण को वादाधार एवं वाद हैतुक प्राप्त सेटलमेन्ट कर्मचारी वादीगण की खरीद शुदा भूमि 50–19 बीघा को राजस्व रेकार्ड में अंकन अनुसार करने एवं नक्शा को कम करने की कुचेष्टा में है जिनको न्यायालय की सहायता से तुरन्त वर्जित करवाया जाना आवश्यक है इस कारण वाद अत्यन्त आवश्यक प्रकृति का हो गया है ऐसी स्थिति में वादीगण के पास इतना माकुल समय नहीं है कि दो माह का पूर्व नोटिस प्रेषित कर सके। यदि वादीगण खरीद शुदा को जबरन कम कर नक्शा तरमीम कर दिया जाता है तो वादीगण को अपूर्तीय क्षति होगी और वाद प्रस्तुत करने का मकशद ही समाप्त हो जावेगा। ऐसी स्थिति में धारा 80(2) जाब्ता दिवानी के नोटिस से छूट जुदा गाना ली जाकर दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। दावा घोषणात्मक, रेकार्ड दुरूस्ति, नक्शा संशोधन एवं चिर निषेधाज्ञा प्राप्ती का है जिसकी सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है वादगत कृषि भूमि रोही मौजा उपाधिया तहसील बीदसर जिला चूरू में स्थित है जिसके लिए वाद उचित 10/– रू. के न्याय शुल्क पर अवधि भितर प्रस्तुत किया जा रहा है आदि आदि प्रस्तुत कर अनुतोश चाहा की घोषित किया जावें वर्तमान वादगत खसराजात की खातेदारी एवं वर्तमान नक्शा अवैध एवं शुन्य घोषित किया जाकर साबिका खेत खसरा नम्बर 52 बावन रकबा 157–08 बीघा में से 50–19 बीघा वर्तमान खसरा नम्बर खेत खसरा नम्बर 163/140 रकबा 3.7307 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 166/140 रकबा 3.7181 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 164/140 रकबा 1.7073 हैक्टेयर (6–15बीघा), खसरा नम्बर 165/140 रकबा 2.0234 हैक्टेयर (8–00बीघा) विभाजन से पूर्व के मूल खसरा नम्बर 140/60 रकबा 44–04 बीघा में वादीगण के पूर्वज/पिता शकरू, सुभान, सदीक अनुसार आनुपातिक मुताबिक विक्रय पत्र बढ़ाया जाकर वादगत खसराजात की खातेदारी का कुल रकबा 50–19 बीघा दर्ज किया जाकर प्रतिवादी स. 2 बैंक के रहन इन्द्राज किया जाने के आदेश फरमाये।

उपरोक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। इस प्रकरण में मूल प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना जवाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण के पूर्वजों द्वारा खरीद शुदा 50.19 बीघा भूमि के स्थान पर राजस्व रेकार्ड में सहबन से अंकित 44.04 बीघा का हिस्सा अनुसार विभाजन कराकर नवीन खाते व बट्टा नम्बर अंकित करवा लिये है जिसे वादीगण संशोधित कराना चाहते है तो राज्य सरकार के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी सख्या 2 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बीदासर ने प्रश्नगत दावा के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने का जवाब प्रस्तुत किया। साक्ष्य वादी में वादी मोहम्मद सादिक उर्फ मॉगीलाल ने नोटेरी से तस्दीक शुदा सशपथ बयान प्रस्तुत कर वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी संवत् 2074–2077 खाता स. 75 प्रदर्श–1, नक्शा एक्स खसरा नम्बर 163/140, 166/140, 164/140, 165/140 रोही उपाधिया प्रदर्श–2, विक्रय पत्र दिनांक 23/4/1969 प्रदर्श–3 जिसकी प्रति प्रदर्श–3ए है, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–5, पर्चा सेटलमेन्ट संवत् 2028–2047 खाता स. 66 प्रदर्श–6, जमाबन्दी संवत् 2031 प्रदर्श–7, जमाबन्दी संवत् 2033–2036 प्रदर्श–8, जमाबन्दी संवत् 2037 प्रदर्श–9, नामान्तरकरण सख्या 214 प्रदर्श–10 प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये। साक्ष्य वादी में वादी मोहम्मद इसब, जमीला, इस्माईल ने नोटेरी से तस्दीक शुदा शपथ पत्र बतौर साक्ष्य में प्रस्तुत किये। वादी और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहता इसलिए साक्ष्य वादी बन्द की गई। प्रतिवादी पैरोकार राज की और से जवाब प्रस्तुत हो चुका है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज, जवाब पैरोकार राज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया, वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य से वाद को नहीं मानने

लगातार.....4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सीकर (राज.)

Scanned with CamScanner

का कोई कारण पत्रावली में नहीं है। लिहाजा दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है जिसको डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश

अतः उपरोक्त वाद इस प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है कि रोही उपाधिया के वर्तमान खसरा नम्बर खेत खसरा नम्बर **163/140** रकबा 3.7307 हैक्टेयर, खसरा नम्बर **166/140** रकबा 3.7181 हैक्टेयर, खसरा नम्बर **164/140** रकबा 1.7073 हैक्टेयर, खसरा नम्बर **165/140** रकबा 2.0234 हैक्टेयर विभाजन से पूर्व के मूल खसरा नम्बर 140/60 रकबा 44–04 बीघा में वादीगण के पूर्वज/पिता शकरू, सुभान, सदीक पि. नबीबक्स अनुसार आनुपातिक मुताबिक विक्रय पत्र बढ़ाया जाकर वादगत खसराजात की खातेदारी का कुल रकबा 50–19 बीघा वर्तमान खातेदार वादी स. 1, 4 प्रत्येक के 2–05 बीघा व वादी स. 2 के 1–00 बीघा, वादीया स. 3, गौण प्रति. 1 ता 3 के 1–05 बीघा ब.हि.व बढ़ाया जाकर दर्ज किया जाये। प्रतिवादी स. 2 बैंक के रहन इन्द्राज यथावत रखा जाये। मुताबिक विभाजन खातेदारान राजस्व नक्शा में विभाजन के एक्श के बजाय चल रही त्रुटी को मुताबिक कब्जा काश्त शुद्ध किया जाये तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध चिर निशेधाज्ञा का आदेश दिया जाता है कि वादीगण के कब्जा काश्त एवं नक्शा में रकबा कम ज्यादा करने की दखल अन्दाजी नहीं करें। तदनुसार अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बीदासर को डिक्री की पालना की तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनाक06–01–2023 को सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

श्योराम वर्मा
उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner